



Office Of Commissioner/Fire Officer, INDORE NAGAR NIGAM
INDORE Division , INDORE
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100021011/FNOC/COL/2025/2842
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 28, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 20-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : CHAITANYA TECHNO SCHOOL

- 21- MCB/ELCB
22- Fireman Switch in Lift
23- Hose Boxes with Delivery Hose and Branch
24- Refuge Area

(02) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के टेबल-7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फिक्स एवं फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 के अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(03) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। नगर पालिक निगम, इंदौर के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में निर्धारित निर्माण अवधि या पूर्व से निर्मित भवनों हेतु एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एन.बी. भाग-4 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(04) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा। शासन के द्वारा फायर सेफ्टी प्लान के संबंध में जारी नियमों का पालन किया जाना होगा।

(05) यह माल स्थल की सुरक्षा के संबंध में फायर प्लान अनुमोदन है। यह वैधानिक अधिकार एवं मालिका हक आदि हेतु वैधता प्रमाणित नहीं करता है।

(06) यह माल फायर प्लान अप्रूवल है अग्नि सुरक्षा से संबंधित है यह भू उपयोग या भवन-अनुज्ञा को मान्यता प्रदाय नहीं करता है और न ही भवन के अधिभोग की अनुमति प्रदान करता है।

(07) आवेदक को निर्धारित अवधि में एनबीसी पार्ट 04 के अनुसार फायर प्लान अनुमोदित में स्वीकृत फायर फस्टेड एवं फिक्स फायर फायटिंग उपकरणों को स्थापित करने/लगाने के बाद तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर फायर सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु ई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करना अनिवार्य होगा। जिससे स्थल निरीक्षण करने की कार्यवाही उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सके तदोपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई जारी फायर प्लान अनुमोदन निरस्त मान्य होगी।

Principal
Sri Chaitanya Techno School
Khandwa Road, Village, Indore
06/06/2025